

जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

<u>प्रेसविज्ञप्ति</u> <u> दिनांकः- 04.11.2020</u>

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 120 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 04.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली नित्यानंद राय के आदेशानुसार अवैध शराब की बरामदगी, अवैध निर्माण एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम बरनावी से अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी करते हुए एक महिला अभियुक्ता को 120 लीटर अवैध कच्ची शराब, एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके से महिला का पित भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। भट्टी को मौके पर ही नष्ट किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीमती परमीता पत्नी मुकेश निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>नाम व पता फरार अभियुक्त-</u>

1. मुकेश(पति अभियुक्ता) निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- 1. अवैध कच्ची शराब 120 लीटर ।
- 2. कच्ची शराब बनाने के उपकरण (01 ड्रम लोहे का, 01 बड़ा पतीला, 01 भगौना एल्यूमीनियम का आदि)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
- 2. का0 ललित थाना कैराना जनपद शामली।
- 3. का0 नितेश थाना कैराना जनपद शामली।
- 4. म0का0 लक्ष्मी थाना कैराना जनपद शामली।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा विद्युत चोरी एवं विद्युत विभाग के कर्मचारी पर हमला करने के अभियोग में वांछित को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 04.11.2020 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर लक्ष्मणपुरा बस अड्डे से अभियुक्त सतबीर पुत्र दलेल निवासी लक्ष्मणपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 538/2020 धारा 332,353 भादंवि व धारा 135 विद्युत अधिनियम में वांछित चल रहा था । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



PRO CELL SHAMLI